International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 05-02-2022, Accepted: 20-02-2022, Published: 07-03-2022
Volume 8, Issue 2, 2022, Page No. 1-5

विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों का संरक्षण तथा अपराध निरोध में रवीन्द्र नाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन की उपादेयता

कमल कान्त जोशी
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार विधि विरूद्ध बालकों से आशय वह बालक जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई अपराध किया है या अपराध करने का आरोप उन पर लगा है।
बच्चों के अपराध की ओर आकर्षित होने के कई कारण हो सकते है, मगर सामुदायिक व्यवस्था व परिवार का विघटन, असंगठित नगरीकरण व गरीबी इसके प्रमुख कारण हैं।
बच्चों को अपराध से विमुक्त रखने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके द्वारा विधि विरूद्ध बालकों को समाज की मुख्यधारा में आसानी से लाया जा सकता है। रवीन्द्र नाथ टैगोर जी के शैक्षिक दर्शन की बात करें तो वह मुख्यतः ऐसी शिक्षा चाहते थे जो बालक को प्रकृति के सुरम्य वातावरण में प्राप्त हो ताकि आगे चलकर वह श्रेष्ठ मानव बन सकें।
टैगोर के शिक्षा दर्शन के मूल तत्व – शिक्षा में मूल्यों की उपादेयता, शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता का समावेश, शिक्षा में सौन्दर्यानुभूति तथा शिक्षा में नैतिकता का समावेश के द्वारा क्रमशः विधि विरूद्ध बालकों को विचलन से दूर रखा जा सकता है, उनका समाज में समायोजन किया जा सकता है, मानसिक विकास तथा गिरोह अपराध से बच्चों को दूर रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण में टैगोर के शैक्षिक दर्शन के दो मूल तत्व शारीरिक विकास व संवेगात्मक विकास महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

मूल शब्दः शैक्षिक दर्शन, मानवाधिकार, शारीरिक विकास, बाल अपराध, परिकल्पना

प्रस्तावना
किसी भी समाज व देश के भविष्य का निर्धारण उस देश के बच्चों के समुचित संरक्षण, उचित शिक्षा प्रणाली और विकास पर निर्भर करता है। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकें बचपन को सुरक्षित करना समाज का प्रथम दायित्व बन जाता है। बच्चों में प्रौढ़ व वयस्कों की तरह सोचने एवं समझने की क्षमता विद्यमान नहीं होती है।
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार विधि विरूद्ध बालकों से आशय वह बालक जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई अपराध किया है या अपराध करने का आरोप उन पर लगा है।

- **टैगोर के शैक्षिक दर्शन में मानवाधिकार सम्बन्धी मूल घटक विधि विरूद्ध बालकों के परिप्रेक्ष्य में**
- **शारीरिक विकास**

टैगोर ने शिक्षा के लिए स्वस्थ शरीर को आवश्यक माना है। शारीरिक विकास हेतु उन्होंने खेलकूद व व्यायाम के साथ पौष्टिक भोजन को आवश्यक माना । इस प्रकार से शारीरिक विकास का यह तत्व विधि विरूद्ध बालकों को किशोर न्याय नियम, 2016 के अन्तर्गत निम्न रूप में प्राप्त है–

- नियम 32 बच्चों को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान शारीरिक व्यायाम की उपलब्धता प्राप्ति का अधिकार प्रदान कराता है।
- नियम 33 के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान बच्चों को पौष्टिक भोजन की उपलब्धता प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है।

- **संवेगात्मक विकास**

टैगोर का मत था कि संगीत, योग, कला *तथा नृत्यकला के माध्यम से बालकों को संवेगात्मक प्रशिक्षण प्रदान कराना चाहिए। इस आधार पर कहा जा सकता है कि टैगोर जी के शैक्षिक दर्शन में विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण की अवधारणा इस रूप में दिखाई देती है–*

- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान विधि विरूद्ध बालकों को किशोर न्याय नियम, 2016 के अंतर्गत नियम 38(1) में योग, ध्यान, संगीत, और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा डांस आदि की उपलब्धता प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है जो उनके संवेगात्मक विकास हेतु आवश्यक है।

उद्देश्यः प्रस्तुत शोध पत्र का मूल ध्येय आम जनमानस को यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि रवीन्द्र नाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन के वह कौन से तत्व हैं, जिनके माध्यम से विधि विरूद्ध बालकों के समाज विरोधी कार्यो पर नियंत्रण तथा उनके मानवाधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है।

विधिः प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से जानकारियों का संकलन कर उनका वर्णनात्मक विश्लेषण किया गया है।

उपकल्पनाः टैगोर के शैक्षिक दर्शन को वास्तविक रूप में लागू किया जाय तो विधि विरूद्ध बालकों के समाज विरोधी कार्यो पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध पत्र को निम्न बिन्दुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।
- विधि विरूद्ध बालकों के अपराध के कारण तत्व ।
- टैगोर का शैक्षिक दर्शन विधि विरूद्ध बालकों के अपराध निरोध तथा मानवाधिकारों के संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में ।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बाल –अपराध की समस्या काफी प्राचीन है। कुछ विचारक कभी–कभी यह कहते है कि इस समस्या का उदय आधुनिक युग में हुआ है। वास्तव में यह सत्य नही है, इतना अवश्य सत्य है कि वर्तमान में अपराध की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है पूर्व की अपेक्षा तथा उसके स्वरूप में विभिन्नता आ गई है। यह भी कहना सत्य है कि समय के साथ बालकों के व्यवहार करने के नये– नये ढंग स्वतः जन्म लेते है, और प्राचीन तत्व समाप्त होते जा रहे हैं।

आधुनिक युग में बालकों के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों व अपराध के भिन्न– भिन्न स्वरूपों का अध्ययन प्रारम्भ हो गया है। दो शताब्दी पूर्व बालकों के साथ उनकी प्रकृति के अनुसार व्यवहार नहीं किया जाता था अगर उन्होंने अपराध किया है तो। 19 वी सदी तक अपराधी व बाल अपराधी में किसी प्रकार का भेंद नहीं किया गया दोनों को सामान्य रूप से समान अपराध के लिए कठोर दण्ड प्राप्त होता था।

बाल–अपराध की धारणा का सम्बन्ध बाल–न्यायालय आन्दोलन के साथ है। सर्वप्रथम बाल–न्यायालय आंदोलन संयुक्त राष्ट्र व कनाडा में आरम्भ हुआ। बाल न्यायालय का मूलतः ध्येय बालक व बालिकाओं के व्यवहार में सुधार करना है। अपराध की अवधारणा किसी भी युग में समान नहीं रही है। *अपराध के पीछे जन–समूह की यह भावना विद्यमान है कि व्यक्ति का कौन सा व्यवहार समूह के हित व कल्याण के लिए है व कौन सा नहीं।* आरम्भ में किसी समूह ने व्यक्ति के हानिप्रद कार्यो व व्यवहारों को 'अपराध' घोषित किया होगा किन्तु समाज में हानि, लाभ, कल्याण, हित–अहित, आदि की भावना व इससे सम्बन्धित व्यवहार व मनोवृत्तियों में निरन्तर परिवर्तन होते रहा है। अस्तु अपराध की अवधारणा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। एक युग ऐसा भी था जब व्यक्ति की सीमित आवश्यकतायें थी। उसका जीवन बहुत ही सरल व सीधा सादा था। यह व्यवस्था सामूहिक जीवन के प्रारम्भिक युग की थी।

समाज की प्रगति के साथ सामूहिक जीवन में कुछ समस्यायें उत्पन्न हुई। उसका निराकरण करने के लिए व्यक्ति ने सामूहिक नियमों का निर्माण किया। जिसका पालन समूह के सभी व्यक्ति करते थें, ये नियम मौखिक रूप से कार्यान्वित होते थे किन्तु इनका सीधा सम्बन्ध समूह की परम्पराओं से हुआ करता था। जब कोई व्यक्ति इन परम्पराओं को तोड़ता, यानि समूह के नियमों को तोड़ता था तो व्यक्ति अपने समूह का अपराधी समझा जाता था। इस प्रकार अपराध की समस्या सर्वप्रथम किसी समूह में उत्पन्न हुई होगी। शनैः शनैः यह समस्या बढ़ती गई व समय के साथ जटिल होती गयी।

2. विधि विरूद्ध बालकों के अपराध के कारण तत्व

बाल अपराध के प्रमुख कारण तत्वों को सिद्धान्तों के साथ निम्नांकित रूप में रेखांकित किया गया है –

- **माता–पिता में आपसी मनमुटाव** व लड़ाई झगड़े के चलते तनाव पूर्ण रिश्ते बच्चों को गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते है।
- **'शैल्डन व ग्लूक' का स्थितिजन्य सिद्धान्त के अनुसारः** अपराध में सामाजिक, जैविकीय, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को जिम्मेदारा पाया गया तथा निष्कर्ष निकाला गया कि परिवार की समस्याओं के अंतर्गत (मॉ–बाप का अलग रहना, मॉ–बाप का शराबी होना) शारीरिक और मानसिक विकार, खराब गृह प्रबंध, बच्चों की देखभाल में कमी आदि कारक बाल अपराध को स्थापित करने में सहायक हैं।
- देश में बाल अपराध के कारण तत्वों में मुख्यतः गरीबी प्रमुख है जो बच्चों को पेट भरने के लिए अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करती है।
- **सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसारः** इसके अनुसार अपराध *आर्थिक वातावरण* की उपज हैं 'सिरिल बर्ट' ने बाल अपराध के विश्लेषण में पाया कि 19 प्रतिशत बाल अपराधी अत्यन्त गरीब परिवार के थे और 37 प्रतिशत गरीब परिवार से सम्बंधित थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गरीबी अपराध का महत्वपूर्ण कारक है परन्तु एकमात्र कारण तत्व नहीं है।
- वर्तमान में बाल अपराध के कारण तत्वों में सिनेमा, साहित्य व समाज किशोरों के मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव के स्थान पर नकारात्मक प्रभाव अधिक डाल रहा है। जिस कारण बच्चे अपराध की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
- **'डोनाल्ड आर. टैफ्ट' के अनुसारः** वैचारिक सम्प्रेक्षण व मनोरंजन के साधन अपराध की दर को बढ़ाने में सहायक है। मूलतः समाचार पत्रों व सिनेमा में मोटर कार, स्कूटर चोरी करने वाले व्यक्तियों की क्रियाविधि तथा अपराध करके बच निकलने के सुरक्षात्मक उपायों का वर्णन किया जाता है। परिणामस्वरूप समाचार पत्र वाचक तथा सिनेमा देखने

वाला व्यक्ति अपराध करने की शिक्षा प्राप्त कर लेता है तथा कभी–कभी उन घटनाओं को आकर्षक ढंग से इस प्रकार प्रकाशित व दिखाया जाता है कि बच्चे उस कार्य को करने में रूचि लेने लगते है जो बाद में बाल अपराध को बढ़ावा देने में सहायक होता है।

- बाल अपराध के कारण तत्वों के अंतर्गत यह भी पाया गया है कि जब बच्चों को माता–पिता द्वारा तिरस्कार का सामना करना पड़ता है तथा वैद्य तरीकों से वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता महसूस करता है। इस कारण वह अपराध मार्ग पर कदम रखने को प्रेरित होता है।
- **सफल लक्ष्यों का अवसर संरचना सिद्धान्त (1960) के अनुसारः** 'क्लोवार्ड व ओहलिन' के अनुसार जब कभी बालक अपने लक्ष्यों को वैद्य तरीकों से प्राप्त करने में बाधाओं व अपनी आंकाक्षाओं को निम्न स्तर तक लाने में असमर्थता महसूस करता है तो उसी स्थिति में निम्नवर्गीय युवक गहन कुण्ठाओं का अनुभव करते हैं। यह स्थिति बच्चों को अवैध विकल्पों व अवज्ञा की खोज में व्यस्त कर देती है और वह अपराध कर बैठता है।
- बाल अपराध के कारण तत्वों में मित्रमंडली व असामाजिक साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- **'थ्रेसर' का गिरोह सिद्धान्त (1936) के अनुसारः** यह सिद्धान्त समूह अपराध पर केन्द्रित है। 'थ्रेसर' का कहना है कि गिरोह बाल अपराध में सहयोग करता है। गिरोह किशोरावस्था की अवधि में निरन्तर खेल–समूहों व अन्य समूहों के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है और फिर अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा तथा उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उस गिरोह में परिवर्तित हो जाता है, जो उनका पर्यावरण व उनका परिवार उन्हें प्रदान नहीं करता है।
- इस प्रकार स्पष्ट है कि इन स्थितियों के कारण बच्चों द्वारा समाज विरोधी कार्य किया जाता है तथा यह स्थिति यदि विद्यमान नहीं हो तो आशा की जा सकती है कि बच्चों द्वारा समाज विरोधी कार्यो से अपने आप को पृथक रखा जायेगा।

3. टैगोर का शैक्षिक दर्शन, विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण व अपराध निरोध के परिप्रेक्ष्य में –

टैगोर के शिक्षा दर्शन के वह तत्व जो विरूद्ध बालकों के अपराध निरोध तथा मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं उसका विवरण इस प्रकार है

1. शिक्षा में मूल्यों की उपादेयता

टैगोर जी प्रकृति की मौलिक एकता पर विश्वास रखते थे और बालकों को शहरों से दूर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में शिक्षा देने के पक्षधर थे जिससे आगे चलकर बालक एक श्रेष्ठ मानव बनकर अपना निर्णय स्वयं लें। वास्तव में इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को समाज विरोधी कार्य करने से दूर रख पायेगी क्योंकि बालक को प्रकृति में ऐसा वातावरण प्राप्त होगा जो उसे विचलन से दूर रखेगा।

- इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा में मूल्यों की उपादेयता विधि विरूद्ध बालकों को आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

2. शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता का समावेश

टैगोर ने शिक्षा के प्रकृतिवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा बालक की स्वतंत्रता, शिक्षण विधियों, अनुशासन व विद्यालय की व्यवस्था के प्रति प्रकृतिवादी विचार प्रस्तुत किए गए।

- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली द्वारा विधि विरूद्ध बालकों को उनकी रूचि क्षमता व योग्यतानुसार स्वतः विकसित होने का अवसर प्रदान होगा तथा समाज में आसानी से उनका समायोजन हो पायेगा।

3. सौन्दर्यानुभूति शिक्षा का समावेश

टैगोर जी ने सत्यम् शिवम सुन्दरम् जैसे शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करने के लिए सौन्दर्यानुभूति शिक्षा को आवश्यक माना इसी के आधार पर वर्तमान में संगीत, पेटिंग, अभिनय व कविता आदि की शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा रही है।

- इस प्रकार की शिक्षा विधि विरूद्ध बच्चों को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान यदि प्रदान की जाय तो उनके मानसिक विकास में सहायक का कार्य करेगी।

4. नैतिक शिक्षा को महत्व

टैगोर ने शिक्षा द्वारा नैतिक आचरण के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया वे मानते थे कि यदि व्यक्ति भौतिक सुखों के पीछे भागना प्रारम्भ करेगा तो उसका आचरण पशुक्त हो जायेगा। वे धर्म को सैद्धान्तिक व नैतिकता को व्यवहारिक मानते थे।

- **विधि विरूद्ध बालकों के परिप्रेक्ष्य में उनके यह विचार बच्चों की आवश्यकता पूर्ति हेतु गिरोह अपराध से दूर रख पायेंगे।**

अतः स्पष्ट है कि टैगोर के शिक्षा दर्शन के मूल तत्व – शिक्षा में मूल्यों की उपादेयता, शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता का समावेश, शिक्षा में सौन्दर्यानुभूति तथा शिक्षा में नैतिकता का समावेश के द्वारा क्रमशः विधि विरूद्ध बालकों को विचलन से दूर रखा जा सकता, उनका समाज में समायोजन किया जा सकता, मानसिक विकास तथा गिरोह अपराध से उन्हें दूर रखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त शैक्षिक दर्शन के मूल तत्वों के माध्यम से राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा, समाज में समायोजन तथा मानसिक विकास का अवसर

उन्हें क्रमशः शिक्षा में मूल्यों की उपादेयता, शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता का समावेश तथा शिक्षा में सौन्दर्यानुभूति का समावेश के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।

सुझाव

विधि विरूद्ध बालकों के अपराध निरोध हेतु

1. घर का उचित वातावरण

बालकों को अपराधी बनने से बचाने हेतु यह जरूरी है कि घर का वातावरण उचित हो। माता–पिता को चाहिए कि वे बच्चों के सम्मुख आपस में झगड़ा–लड़ाई नहीं करें। बच्चों के साथ उचित व्यवहार करें, उन पर नियंत्रण और अनुशासन इतना कठोर नहीं हो जिससे बालक घर को जेल समझने लगे, बच्चों को आवश्यकता से अधिक प्यार नहीं करें और उनका तिरस्कार भी नहीं करें। परिवार में सभी लड़के तथा लड़कियों के साथ समान व्यवहार करें। किसी को ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। यदि माता–पिता एवं अभिभावक ऐसा कर सके तो बहुत से बच्चे अपराधी बनने से बच सकते है।

इन सब स्थितियों के बाद भी यदि भूलवश किसी बच्चे से अपराध हो जाए तो अभिभावक का दायित्व बनता है कि वह अपराध के कारणों को जाने तथा तद्नुसार बच्चे में सुधार लाने की कोशिश करें तथा क्रोध में आकर बच्चे से मारपीट नहीं करनी चाहिए आवश्यकतानुसार उसे किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए या किसी बाल सुधार स्कूल से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

2. इच्छाओं की पूर्ति

माता–पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की उचित इच्छाओं की पूर्ति यथासम्भव करें। इच्छाओं के कुण्ठा के कारण भी अधिकांश बालक अपराध के मार्ग की ओर कदम बढ़ा लेते हैं, निर्धन परिवार में इस प्रकार की स्थिति ज्यादा दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त माता–पिता का यह भी दायित्व बनता है कि इच्छा पूर्ति हेतु बच्चों को जेब खर्चे हेतु ज्यादा रूपये नहीं दें, इससे उनमें धूम्रमान, सिनेमा देखने आदि जैसे दुर्गुण पैदा हो जाते हैं।

3. अच्छे खेल, स्वस्थ मनोरंजन व साथी

बालकों को अपराधी होने से बचाने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके साथी अच्छे हों, उनके लिए अच्छे खेलों की व्यवस्था हो तथा बच्चों के मानसिक विकास के लिए स्वस्थ मनोरंजन की उपलब्धता होनी चाहिए। इस हेतु माता–पिता अभिभावक का दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चों को बुरे बच्चों के साथ रहने या खेलने से बचायें तथा उनके लिए उचित खेल व स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था का प्रबन्ध करें।

4. शैक्षिक जागरूकता

बच्चों को अपराध के मार्ग से वंचित करने हेतु माता–पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। निर्धन माता–पिता भी अपनी अन्य आवश्यकताओं को सीमित करके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन का संचय करें इससे बच्चों के भटकाव पर नियंत्रण लगेगा।

- **'ह्यूगों' के अनुसार** वह व्यक्ति जो समाज में एक शैक्षिक संस्था का निर्माण करता है, वह एक जेल बन्द करता है अर्थात बच्चों को उचित मार्ग पर चलने की राह प्रदान करता है।

5. सरकारी सहायता

बाल–अपराध को नियंत्रित करने के लिए सरकार को भी सक्रिय होना चाहिए, इस हेतु उसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे जैसे – गरीब बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आदर्श राजकीय स्कूलों की स्थापना, अशोभनीय चलचित्रों पर रोक, मनोरंजन तथा खेल–कूद की समुचित व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण हेतु शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम तथा बेसहारा बच्चों के लालन–पालन तथा शिक्षा का उचित प्रबन्ध आदि।

निष्कर्ष

टैगोर ने अपने शैक्षिक दर्शन के माध्यम से बालकों के जीवन में पूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से वह सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास कर सके। टैगोर के शिक्षा दर्शन के मूल तत्वों द्वारा अपराध निरोध हेतु विधि विरूद्ध बालकों को विचलन से दूर रखा जा सकता, उनका समाज में समायोजन किया जा सकता है, मानसिक विकास तथा गिरोह अपराध से उन्हें दूर रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त टैगोर के शैक्षिक दर्शन के माध्यम से राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रहने के दौरान विधि विरूद्ध बालकों के मानवाधिकारों के संरक्षण में टैगोर के शैक्षिक दर्शन के दो मूल तत्व शारीरिक विकास व संवेगात्मक विकास महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

1. सिंह, डॉ. जय, कृष्ण बहादुर सिंह, रवीन्द्र नाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन मूल्यों की उपादेयता का अध्ययन, International Journal of Advanced Educational Research, Volume1,Issue 4, July2016, Page No-51-53
2. अग्रवाल, डॉ प्रभा, भारतीय शिक्षा दर्शन में रवीन्द्रनाथ टैगोर का योगदान, International Journal of Humanities and Social Science Research, Volume2,Issue 1, January 2016 ,Page No- 45-48
3. सिंह, डॉ. वी.एन, डॉ जनमेजय सिंह, 2007, नगरीय समाजशास्त्र विवेक प्रकाशन,नई दिल्ली।
4. बघेल डॉ. डी.एस, 2016, अपराध शास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली।

5. पाण्डेय, तेजकर, संगीता पाण्डेय, 2009, भारत में सामाजिक समस्यायें, टाटा एम सी ग्रा–हिल पब्लिकेशन, पश्चिमी पटेल नगर, दिल्ली।
6. सुलैमान, डॉ. मोहम्मद, 2010, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन, दिल्ली।
7. भारत का राजपत्र – किशोर न्याय नियम, 2016 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015
8. https://www.nhrc.nic.in